संख्या-2/2018/ 6/84-1-2018-89/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 01 फरवरी 2018

विषय- ईज आफ डूईग बिजनेस के सम्बन्ध में विभागीय कार्यों को ऑन लाइन कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35/निविमावि-लेखा 7(25)मॉग/2017-18, दिनॉक 16 जनवरी 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में ईज आफ डूईग बिजनेस के सम्बन्ध में विभागीय कार्यो को एन0आई0सी0/सम्बन्धित संस्था के माध्यम से ऑन लाइन कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 38.69 लाख (रूपये अडतीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माग नहीं की जायेगी।
(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन" के मद में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-3 में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-12 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-58/दस-18 दिनॉक 30 -01-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2018/96(1)/ /84-1-2018-89/2017 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21-खाप एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग)

माह जनवरी 2018

(धनराशि लाख रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-00-106-00-03-01	4229.63	1916.27	38.69	38.69	4190.94
योग-	4229.63	1916.27	38.69	38.69	4190.94

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-00-106-00-03-02	5.00	18.20	13.20	13.20	18.20
3475-00-106-00-03-08	5.00	7.00	2.00	2.00	7.00
3475-00-106-00-03-44	5.00	7.25	2.25	2.25	7.25
3475-00-106-00-03-46	5.00	26.24	21.24	21.24	26.24
योग-	20.00	58.69	38.69	38.69	58.69

(1)स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है- लोक सेवा आयोग/चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के भार ग्रहण न करने के कारण पदों के रिक्त रहने के कारण ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय उ0 प्र0 शासन के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम ईज आफ डूईंग बिजनेस को विभाग में एन0आई0सी0 के माध्यम से लागू/स्थापित कराये जाने हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 226/ई-7-58/दस-18 दिनॉक 30-01-2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

राजेन्द्र राम
अनु सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 96(2)/84-1-2018-89/2017 दिनॉक 01-02-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निबन्धक राज्य आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।